लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक

तेजबहादुर सिंह भुवाल

संविधान में ''हम भारत के लोग भारत की संप्रभुता, सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं'' का उल्लेख किया गया है। पूरी दुनिया में भारत देश जैसा अच्छा और सक्षम लोकतांत्रिक गणतंत्र और कहीं नहीं है। संविधान के अनुसार देश को चलाने के लिए राजनीतिक ढ़ाचा तैयार किया गया। जो देश और राज्य को चलाने के सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार राज्य के भीतर नगरीय निकायो में पार्षद चुनाव कराये जाते है, जो सीधे जनता के द्वारा अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुना जाता है। जीते हुए प्रत्याशी पार्षद बनते है और 5 वर्ष के लिए अपने वार्ड के विकास एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रकार वार्ड की समस्याओं से जनता द्वारा अवगत होकर उसका निराकरण कराने का प्रयत्न भी करते है।

हमारे देश में किसी भी चुनाव में वोट देने अधिकार 18 वर्ष की आयु के युवक एवं युवतियों को है। निर्वाचन में एक-एक वोट का महत्व बहुत होता है। इस वोट से अपने क्षेत्र की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथों सौपने का निर्णय किया जाता है, जो आपके अनुसार सही, निष्पक्ष और जनता के हित में कार्य करें। इसके लिए जनता को चाहिए कि वे अपने सुविवेक का उपयोग करें और ऐसे व्यक्ति को वोट दें, जो शिक्षित हो, अनुभवी हो, जो सभी का आदर करने वाला, संस्कारी एवं मिलनसार हो। पद पर बैठने के बाद जनता के लिए कार्य करें। इस सोच के साथ सभी नागरिकों को अपना बहुमूल्य वोट देना चाहिए। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है मत देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है, जिसमें मतों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। नागरिकों को सभी चुनावों में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करना चाहिए।

यह चुनाव जमीन से जुड़ी होती है, जिसमें आपको प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को देखते हुए, उन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की क्षमता करने वाले प्रत्याशी को चुना जाना चाहिए और व शिक्षित, अनुभवी व दूरदर्शी हो, जो आपके वार्ड और शहर की आमजनता के हित में कार्य करने के लिए उचित निर्णय लेने की क्षमता रखते हो। यहीं वक्त होता है, जब हर नागरिक अपने मताधिकार का सही उपयोग कर एक शिक्षित, ईमानदार, अनुभवी और जिम्मेदार व्यक्ति को वोट दे। आपके एक महत्वपूर्ण वोट से एक अच्छा प्रत्याशी चुन सकते हैं और आपके एक वोट ना देने से अयोग्य प्रत्याशी जीत सकता है। चयन आपको करना है।

प्राय: देखा गया है कि युवा अपने मौज, मस्ती और सोशल मीडिया में इतने डूबे रहते है, कि उन्हें मतदान करने की फुरसत नहीं होती। वे यह सोचते है कि कौन जाकर लम्बी कतारे पर खड़ा होगा उनके एक वोट न देने से क्या बिगड़ जाएगा। जब तक युवाओं की सोच इस प्रकार की होगी, वाकिब में देश एवं शहर का कुछ नहीं हो सकता। भारत देश की 35 प्रतिशत आबादी युवाओं की है इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को बढ़-चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए, जो कि साप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचें। भारत में प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए अनेकों कार्यक्रम और विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करती है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति दोनों अपने मताधिकार को उपयोग कर सकते हैं।

आज हमारे देश में औसतन 5० से 6० प्रतिशत ही मतदान होता है। इसमें छोटी-बड़ी राजनैतिक पार्टियो व निर्दलीय उम्मीदवारों में वोट बंटते या पड़ते हैं। जिसको भी 1०-2० प्रतिशत वोट पड़ जाते हैं वो जीत जाता है, आज कल के नेता शराब पिला कर व पैसे बाँट कर इन 1० से 2० प्रतिशत लोगों को अपने प्रभाव से वोट करवा लेते हैं व चुनाव जीत जाते है जिस कारण ऐसे लोग चुन कर आते है जो पूर्णतया भ्रष्ट होते है व जिनका चुनाव जिंतने का एक मात्र उदेश्य सत्ता पाना और धन कमाना होता है, तथा चुनाव जिंतने के बाद वह अगले 5 वर्ष तक देश के संसाधनों का खूब शोषण करते है व खूब भ्रष्टाचार करते है।

अगर भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है तो लोगों को यह भी समझना होगा की आज जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है व चारों ओर जो अव्यवस्था का वातावरण है उसका एक बहुत बड़ा कारण चुनाव के दौरान मतदान नहीं करना है। यदि सभी लोग मतदान करेंगे को वही लोग चुन कर देश के सत्ता में आयेंगे जो देश व आम जनता के लिए काम करेंगे। इसलिए पूरे नागरिक अपने मताधिकार को उपयोग अवश्य करें।

संपादकीय

किल्लत के दौर में उपहार की फुहार

कल जब बाजार में प्याज के बदले एक-दूसरे को घूरते दोस्तों के बीच बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदने आए सांता क्लॉज मिले तो उन्होंने मेरे मुर्झाये झोला लटके कंधे पर हाथ धरते हंसते पूछा, 'और दोस्त! क्या हाल है? सब खैरियत तो है न?' तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते कहा, 'हे सांता क्लॉज! हंस लो आप भी हमारे हाल पर! मत पूछो प्याज के बिना हमारे क्या हाल हैं? इस प्याज ने नाक में इतना दम कर रखा है किञ जिसे देखो, जहां देखो वही आजकल बस, प्याज! प्याज! चिल्ला रहा है।'

'यार! मैं चाहता हूं कि अबके बच्चों के साथ वोटरों को भी क्रिसमस पर कुछ उपहार में दूं। पर समझ नहीं पा रहा हूं कि लोकतंत्र के वोटरों की जरूरत आज क्या है?' कह वे हंसे तो मैंने उनके दिमाग के भीतर झांकते पूछा, 'कहीं बहती चुनावी गंगा में नहाने का मन तो नहीं?' 'ये क्या बोल रहे हो यार! इतना छोटा मेरे बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो! मैं संत हूं यार संत!' 'आजकल संत ही सबसे अधिक बेकाबू हुए जा रहे हैं सांता क्लॉज!' 'तुम कहो तो उनके लिए इस सर्दी में एक-एक रजाई अबके क्रिसमस पर दे दूं?'

'रजाई? मेरे हिसाब से सबसे बेहतर यही रहेगा जो तुम वोटरों को उपहार में क्रिसमस के अवसर पर प्याज दो,' मैंने सीना तान विचारक हो कहा तो वे सिमटे, 'मतलब! प्याज बोले तो ओनियन?' 'जी हां! ओनियन नहीं, मिस्टर ओनियनजी कहो इसे! जब तक प्याज की बदबू रहेगी लोग तुम्हें दुआएं देंगे।' 'मतलब?' 'अबके वोटरों को प्याज से अधिक प्रिय और कोई उपहार शायद ही हो सांता क्लॉज! इन दिनों तो बीवी भी अपने पति से अधिक प्याज से प्रेम करने लगी है। वह भगवान से पूछ रही है कि उसका पति, पति क्यों हुआ, प्याज क्यों न हुआ।'

'प्याज! हद है यार! त्योहार पर तो कुछ मीठी सीठा होना चाहिए और तुम कहते हो कि प्याज?' 'हां सांता क्लॉज! इस समय देश को सबसे अधिक जरूरत है तो बस प्याज की। प्याज के बिना मत पूछो आज हम कितने परेशान हो रहे हैं। गरीब की तो बात छोड़ो, आज पैसे वाले की रूह भी प्याज का रेट सुन कांपने लग जाती है। आम तक आज यह सोचने को विवश है कि वह आम क्यों हुआ, प्याज क्यों न हुआ! इसलिए जो जनता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अबके उसे उपहार में दिल खोलकर प्याज दो तो जनता की दुखती रग पर से कोई एक उंगली तो हटे,' मैंने कहा तो वे मुस्कुराते हुए प्याज की जमाखोरी किए लाला के गोदाम की ओर सरकारी छापामारों की तरह बढ़े। तो प्याज के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे प्याज-प्रेमियों को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि अबके क्रिसमस पर सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देने के साथ-साथ देश के प्याज के लिए पल-पल तड़पते प्याज प्रेमियों का संकट हरने के नेक इरादे से उन्हें गिफ्ट में प्याज लेकर आ रहे हैं। अब प्याज की तंगी कुछ दिन और जैसे-तैसे काट लीजिए बंधुओ।

सू- दोकू क्र. 84

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र. 83 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

शिक्षक नियुक्ति के तदर्थ को करिये स्थायी

नवल किशोर

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों में एडहॉक या अस्थायी शिक्षकों की संख्या लगभग पांच हजार होगी।

यूं तो एडहॉक (तदर्थ) शिक्षकों की बहाली का मूल उद्देश्य शिक्षण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए की गई थी ताकि रिक्त पदों के आलोक में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित ना हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस व्यवस्था की एक लंबी परंपरा रही है। विद्वत परिषद और कार्यकारी परिषद के द्वारा एडहॉक नियुक्ति के संदर्भ में समय-समय पर विधिवत दिशा-निर्देश और नियमावली भी जारी करती रही है।

शैक्षणिक योग्यता और अन्य शतरे के आधार पर हरेक विभाग में प्रत्येक वर्ष एडहॉक नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करते हैं। रिक्त पदों पर एडहॉक नियुक्ति के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन भी किया जाता है और ये विज्ञापन, साक्षात्कार और नियुक्ति समिति के प्रक्रिया से होकर गुजरती है। स्थायी शिक्षक की तुलना में एडहॉक शिक्षक के कार्यभार और वेतनमान भी एक समान होते हैं। ये व्यवस्था इस मायने में बेहद तार्किक और सकारात्मक दिखलाई पड़ेगी, लेकिन पिछले डेढ़ दशक में शिक्षकों के लिए एडहॉक की लंबी पारी काफी पीड़ादायक रही है।

चिकित्सा छुट्टी, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के साथ-साथ कई प्रकार की सेवा-सुविधा से वंचित रहकर नौकरी करना मानसिक उत्पीड़न से परिपूर्ण रहती है। लंबे अरसे से एडहॉक से स्थाई नियुक्ति की उम्मीद में एडहॉक शिक्षक समूह अपने बौद्धिक जीवन के महत्त्वपूर्ण दस-पंद्रह साल गवां दिए हैं। इस दौरान कॉलेजों और विश्वविद्यालय में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन भी आए और फॉर्म भी भरे गए मगर साक्षात्कार नहीं हुए। एडहॉक शिक्षकों को हरेक चार महीने बाद नियुक्ति पत्र मिलती रही और कॉलेज में अकादमिक गतिविधियां चलती रही। इनके पढ़ाने और अन्य अकादमिक योगदान से विद्यार्थीसमूहों के पठन-पाठन में वाकई कोई संकट नहीं आया मगर इन शिक्षकों के कार्मिक-जीवन में स्थायित्व की समस्या एक विकराल रूप धारण करती गई। 28 अगरत 2०19 को निर्गत एक सरकारी सकरुलर एडहॉक शिक्षकों के कॅरियर के लिए एक मृत्यु-फरमान की तरह आया, जिसमें एडहॉक नियुक्ति की जगह पर अतिथि शिक्षक बहाल करने का प्रावधान किया गया था। एडहॉक की तुलना में वेतन भी आधी से भी कम होने की संभावना थी।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के संबंध में सरकार की तरफ से संसद की पटल पर पहली बार पूर्व मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक साल की समय सीमा के तहत भर्ती पूरा करने का आश्वासन दिया था, जबकि वर्तमान मंत्री रमेश पोखिरयाल निशंक ने तो छह माह के भीतर ही स्थायी भर्ती पूरी कर लेने की बात दोहराई। परंतु इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में समायोजन सहित स्थाई नियुक्ति, प्रोन्नति में पूरी एडहॉक अनुभव का जोड़ना और 28 अगस्त 2०19 के सकरुलर की वापसी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने 4 दिसम्बर 2०19 से पूर्ण बंद का आह्वान किया। आंदोलित शिक्षकों ने वीसी कार्यालय पर कब्जा कर लिया। शिक्षक आंदोलन के दबाव में सरकार ने कुछ मांगों को माना, जिसमें स्थाई नियुक्ति होने तक एडहॉक शिक्षकों की सेवा जारी रखना और पहले दो प्रोन्नति में एडहॉक अनुभव को जुड़ने के साथ-साथ ही बाकी मुद्दों के समाधान करने का वायदा किया गया था। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और मानव संसाधन मंत्रालय के तरफ से किए गए ये वायदे कब तक पूरे होंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है। मगर एडहॉक शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर अभी भी आंदोलन जारी है, जिसे सरकार ने फिलहाल खारिज कर दिया है। उपर्युक्त मुद्दों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक वर्षो से परेशानी झेल रहे हैं।